संख्या 69/149/41 1-2025-CN 1764943 2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2025

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर विकास खण्ड लम्भुआ में स्थित जनवरी नाथ धाम के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8658/मु०प०वि०स०यो०/44-सुल्तानपुर/सी0एन0-98730/2023, दिनांक 13 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर विकास खण्ड लम्भुआ में स्थित जनवरी नाथ धाम के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर विकास खण्ड लम्भुआ में स्थित जनवरी नाथ धाम के पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-184/ 2024/आई-503838/41-1-2024-1764943-2024, दिनांक 24 फरवरी, 2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3 प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-184/2024/आई-503838/41-1-2024-1764943-2024, दिनांक 24 फरवरी, 2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 40.00 लाख (रू० चालीस लाख मात्र) को मय ब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. श्री सीताराम वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा क्षेत्र-190 लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर।
5. जिलाधिकारी, सुलतानपुर ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० ।
8. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. उप निदेशक पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।